-1-

समक्ष माननीय राजस्व मडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

1. जशवंत सींग पिता राजाराम ठाकुर, R-719-III/14
   साकिन खिरिया वार्ड बीना
   तहसील बीना जिला सागर
2. देवेन्द्र सीग ठाकुर तनय गजराज सींग
   साकिन खिरिया वार्ड बीना, तह. बीना जिला सागर .....आवेदकगण

//विरूद्ध//

1. राजेश कुमार तनय श्री जगदीश प्रसाद
2. उरेश कुमार तनय श्री जगदीश प्रसाद
3. जयेश कुमार तनय श्री जगदीश प्रसाद
4. जगदीश प्रसाद कामता प्रसाद माथुर वारसान सुशीला देवी
   सभी निवासी 183 कानूनगो वार्ड, शीतला माता मंदिर
   के पास बीना तहसील बीना जिला सागर
5. सूर्यकांत गोस्वामी पिता रामकृष्ण गोस्वामी
   निवासी सावरकर वार्ड बीना .....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा-50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् आयुक्त सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण क्रमाँक 118/अ-6 वर्ष 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 30-11-13 से परिवेदित होकर निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

1. यह कि, अनावेदिका सुशीला देवी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 89 के तहत रकवा कम किये जाने हेतु पूर्ति बावत् आवेदन प्रस्तुत किया था । जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर दिये जाने उपरांत आवेदन निरस्त किया गया जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी बीना के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होनें दिनांक 31.01.11 को प्रस्तुत अपील निरस्त की जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील में उपरोक्त दोनों आदेश निरस्त किये जाने से यह निगरानी विधिवत् रूप से प्रस्तुत की जा रही है ।

XXXIX(a)-BR(H)-11

R. 719. III/14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.... निग.719-III/14 .... जिला .... सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-12-16	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय आयुक्त सागर के प्रकरण क्रमांक 118/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दि० 30/11/2013 के विरूद्व म०प्र० भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया है विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन धारा–89 के तहत रकवा की कमी की पूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें राजस्व निरीक्षक बीना द्वारा दिनांक 10.07.2009 को प्रतिवेदन मय पंचनामा मय नक्शा के प्रस्तुत किया है। एवं तहसीलदार बीना द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण दिनांक 29.03.10 को किया गया है जिसके उपरांत तहसीलदार बीना द्वारा विस्तृत व्याख्या के आधार पर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया था जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी बीना द्वारा भी संपूर्ण सुनवाई उपरांत निरस्त की गई है। किंतु आयुक्त सागर द्वारा उन्हें निरस्त कर गंभीर विधिक त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क है कि विद्वान न्यायालय आयुक्त सागर द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि, आवेदक क्र.1 ने वर्ष 1985 में जगराज किशोर माथुर से ख. नं. 69 में से 0.55 हे0 रजिस्टर्ड विकयपत्र द्वारा खरीदकर मालकाना का खास कब्जा प्राप्त किया था किंतु तीनों वैनामों का विवित नामांतरण कराने के उपरांत आवेदक का खसरा 69/2, 3, 4 हो गया कुल रकवा 1.61 हे0 आज भी रिकार्ड में दर्ज है उसी अनुसार नक्शा बनाया गया है आवेदक के रकवे में किसी भी प्रकार की बढोत्तरी नहीं की गई है न ही	

R. 719-IV/14 (अग्राह्य)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	नक्शा त्रुटिपूर्ण तैयार किया गया है इसी प्रकार आवेदक क्र.2 ने रामेश्वर प्रसाद माथुर से आवेदक क्र.1 पश्चात ख.नं. 69/5 रकवा 0.81 हे0 भूमि क्रय कर मालकान हक व कब्जा प्राप्त किया है जिसमें आवेदक क्र.2 का कुआ ट्यूवबेल काफी समय से बना हुआ हैं इस कारण आवेदकगणों के रकवे से अनावेदकगणों के रकवे की पूर्ति किया जाना संभव ही नहीं है राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दि. 29.03.10 से भी यह प्रमाणित है कि आवेदकगण क्रयशुदा भूमि पर आपसी बंटवारा उपरांत मेढ़ बनाकर काबिज हैं। उन्होंने व्यवहार न्यायधीश वर्ग 1 बीना के व्यवहारवाद क्र.6/अ/97 में पारित डिग्री 9/7/99 के अनुसार आवेदक के आवेदन पर विचारण न्यायालय द्वारा किए गए बंटवारा आदेश के परिपालन में काबिज होने और व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होने के आधार पर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। 3— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा रिकार्ड का अवलोकन किया तहसीलदार बीना के समक्ष अनावेदिका द्वारा रकवे की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर राजस्व निरीक्षक के एकपक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर आवेदकगण के रकवे से पूर्ति करते हुए आदेश दि.19.06.06 को आदेश पारित किए जाने पर और उसी के आधार अभिलेख दुरूस्त किए जाने का आदेश तहसीलदार बीना द्वारा किया गया है जिसका उल्लेख आयुक्त सागर द्वारा अपने आदेश में किया है किंतु प्रत्यावर्तित प्रकरण में विचारण न्यायालय तहसीलदार बीना द्वारा राजस्व निरीक्षक से पुनः प्रतिवेदन मौका पंचनामा नक्शा के लिए जाने के उपरांत पक्षकार द्वारा आपत्ति किए जाने पर पुनः राजस्व निरीक्षक से उभयपक्षों की उपस्थिति में प्रतिवेदन दिनांक 29.03.10 को लिया जाकर प्रकरण निराकृत किया है। जिसमें आवेदकगण अपनी भूमि पर व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित बंटवारा आदेश के तहत काबिज होने का उल्लेख किया है। जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी बीना द्वारा भी अपने आदेश में करते हुए अपील निरस्त की है। इस	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक ....निग.719-III/14 .... जिला ... सागर ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कारण पारित आदेशों में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है आयुक्त सागर द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर विचार किए बिना अपील स्वीकार किए जाने आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। 4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.13 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी बीना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.11 एवं तहसीलदार बीना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.10 स्थिर रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस किए जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

क्र. प. उ.